

प्रेषक

मुख्य मंत्री को पत्र



नाम -> पूजा सागर I कक्षा VIII  
विद्यालय -> के. जी. बी. वी. नगर हरसनापुर  
जनपद (अमरौहा (उ.प्र.))

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री  
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय -> बाल विवाह को रोकने की आवश्यकता क्यों है /  
(और इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए) /

साहोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार है / कि मैं के. जी. बी. वी. नगर हरसनापुर जनपद (अमरौहा उत्तर प्रदेश में कक्षा VIII की छात्रा हूँ / मेरा नाम पूजा सागर है आज के समय में भी हमारे देश और हमारे समाज में बाल विवाह की बढ़ती समस्या को ध्यानरत रखते हुये मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन है / कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरफ से सरफ़ कानून बचवाये जाये एवं विवाह के लिए लड़की के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष एवं लड़के के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए ऐसा ना होने पर विवाह में शामिल दोनों पक्षों के परिवार रिश्ते दार एवं खाना बन्वाने वाले एवं टैन्ट वाले सभी व्यक्ति जो विवाह में शामिल है / दण्ड के भारीदार होंगे / इस प्रकार ऐसा करने में समाज में इस कुप्रथा के प्रति भय पैदा होगा जिससे इस कुप्रथा का ऊन्त होगा /

नाम -> पूजा सागर I

दिनांक -> 10 मई 2018